

dkj [kkuka dk fucf/khdj .k@ ekufp= vupknu grq  
pd&fyLV

¼1½ dkj [kkuk vf/kfu; e 1948 dh /kkjk 85 ds vllrxr fucf/kr gkus okys dkj [kkuks ds | Ecll/k ea pd fyLV%&

- (क) विधिवत पूर्ण रूप से भरा गया आवेदन पत्र (प्रपत्र संख्या-2) की तीन प्रति।  
(ख) सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क से संबंधित चालान की मूल प्रति एवं छाया प्रति।  
(ग) कारखाना जिस भू-भाग पर स्थापित है उससे संबंधित वैधानिक कागजात की अभिप्रमाणित छाया प्रति (तीन प्रतियों में)।  
(घ) यदि कारखाना के दखलकार का स्वरूप पार्टनरशिप हो, तो पार्टनरशिप डीड की अभिप्रमाणित तीन प्रतियाँ।  
(ङ) यदि कारखाना के दखलकार का स्वरूप निर्देशक मंडल द्वारा संचालित हो, तो कारखाना का मेमोरेन्डम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, कम्पनी रजिस्टार से निर्गत निगमन प्रमाण पत्र, निर्देश मंडल के सदस्यों का आवासीय पता के साथ सूची एवं किसी एक निदेशक के दखलकार मनोनयन संबंधी रिज्यूलेशन की दो-दो प्रतियाँ।  
(च) कारखाना में स्थापित किये जाने वाले मशीनों की सूची, उत्पादन प्रक्रिया संबंधी विवरणी एवं कारखाना में उपयोग होने वाले कच्चा माल संबंधी विवरणी एवं यथा अपेक्षित बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र।  
(छ) लकड़ी चिरान अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले कारखानों के लिए वन विभाग की अनुज्ञप्ति की अभिप्रमाणित छायाप्रति की दो प्रतियाँ।  
(ज) विस्फोटक कोटि के अन्तर्गत आने वाले कारखाना हेतु जिला प्रशासन एवं विस्फोटक विभाग से अनुज्ञप्ति/अनापत्ति प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छाया प्रति की तीन प्रतियाँ।  
(झ) इन्सेक्टिसाइड्स/पेस्टीसाइड्स संबंधी कारखानों के लिए भारत सरकार/बिहार सरकार से संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र/निबंधीकरण प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छाया प्रति की दो प्रतियाँ।  
(ञ) दवा उत्पादन संबंधी कारखाना हेतु औषधि नियंत्रक कार्यालय से निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र/अनुज्ञप्ति की अभिप्रमाणित छाया प्रति की दो प्रतियाँ।

सभी कागजात अभिप्रमाणित होना चाहिए।

¼2½ /kkjk 2M¼½ ds vllrxr fucf/kr gkus okys dkj [kkuka ds | Ecll/k ea pd fyLV%&

- (क) यथा उपरोक्त पारा एक में वर्णित।

(3) dkj [kkuk dk ekufp= vupknu grqgtkMM dkj [kkus@[krjukd dkj [kkus@l kekl; dkj [kkus dk pd fyLV%&

- (क) प्रपत्र संख्या-1 की तीन प्रतियाँ।  
(ख) मानचित्र, प्लान एभिलेशन, आवश्यक कॉस सेक्शन एवं साईट प्लान के साथ मानचित्र की तीन प्रतियाँ, जिस पर दखलकार का हस्ताक्षर हो।  
(ग) उत्पादन प्रक्रिया की संक्षिप्त विवरणी एवं फ्लो चार्ट की तीन प्रतियाँ।  
(घ) भू-भाग संबंधी वैधानिक कागजात, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र, मशीन की सूची एवं रॉ-मैटेरियल की विवरणी तीन-तीन प्रतियों में।  
(ङ) उत्पादन प्रक्रिया के कारण उत्पन्न होने वाले खतरा/हजार्ड्स एवं उसके प्रभाव के संबंध में पूर्ण विवरणी।

(4) dkj [kkuk vf/kfu; e 1948 dh /kkjk 2M¼½ ds vllrxr fucf/ku gkus okys dkj [kkus dk pd fyLV%&

- (क) मशीनों की सूची छोड़कर पारा-1 में उल्लेखित सभी कागजात।  
सभी कागजात अभिप्रमाणित होना चाहिए।

मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार  
पटना।